

भाग-15

अनु० 324-329

अनु०

अनु०-324

गठन - 25 जन. 1950

प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग
- सुकुमार सेन

वर्तमान - राजीव कुमार

आरम्भ में - 1 सदस्यी था।

1989 में → 3 सदस्यी।

निर्वाचन आयोग

or
चुनाव आयोग

Election Commission.

राष्ट्रपति, अपराष्ट्रपति, संसद व विधानमण्डल
के निर्वाचन के लिए तथा उसके, अधिधर
निर्देशन व नियन्त्रण के लिए एक निर्वाचन
आयोग होगा।

निष्कर्ष:- राष्ट्रपति के द्वारा

गठन स्थिति :- पहले

अब

<u>विपक्ष</u>	✓ ① प्रधानमंत्री - अध्यक्ष	✓	१) PM
	✓ ② लोक सभा के विपक्ष का नेता	—	१) विपक्ष नेता
	✓ ③ SC का वरिष्ठ न्यायाधीश / CJI.	✓ →	<u>कैबिनेट मंत्री</u>

कार्यकाल :-

- ① 6 वर्ष / 65 वर्ष की आयु तक
 - ② त्यागपत्र - राष्ट्रपति को सौंपेगा।
 - ③ मुख्य निर्वाचन आश्क्त को सौचित कक्षाचार या संवैधानिक असमर्थता के आधार पर दोनो सदनो के द्वारा २/३ बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति पद से हटा सकेगा।
- अन्य निर्वाचन आश्क्तो को मुख्य श्राव आश्क्त के सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकेगा।

निर्वाचन आयोग के कार्य :-

- ① मतदाता सूची तैयार करना.
- ② मतदाता पहचान पत्र बनवाना.
- ③ दलों को राजनैतिक दल का दर्जा प्रदान करना.
- ④ चुनाव चिह्न निर्धारित करना।

अनु० 325: मतदाता सूची में नाम शामिल करने के आधार पर किली भी वर्क के साथ, जाति, धर्म, लिंग वंश के आधार पर भेद भाव नहीं किया जाएगा।

अनु०-326 :- मतदान का अधिकार है :-

↳ भारत का नागरिक हो।

↳ 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो।

↳ मतदाता सूची में नाम हो।

↳ विधि के द्वारा वंचित नहीं किया गया हो।

61वां CAA-1989 के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।

लोकपाल व लोकायुक्त

- ↳ प्रशासन में सुधार के लिए इसका गठन किया गया।
- ↳ नागरिकों के समस्याओं समाधान हेतु।
- ↳ केन्द्र सरकार के द्वारा केन्द्र में तथा राज्य सरकार के द्वारा राज्य में एक लोकायुक्त।
- ↳ लोकपाल का गठन प्रथम बार - ^{प्रस्ताव} 1966 - 1970 ^{गठन}
- ↳ 23 मार्च 2019 को पुनः गठित किया गया,
इसके अध्यक्ष - P. C. खोसला वर्ये।

केन्द्रीय सर्वकला आयोग

- ↳ भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण के लिए इसका गठन किया था।
- ↳ संघायम समिति के सिफारिश पर - 1962.
- ↳ इसका गठन - 1964 में.
- ↳ इसके प्रथम अध्यक्ष : मिर्दूर श्री निवास राउत
वर्तमान - Suresh. N. Patel.
- ↳ कार्यकाल - 5 वर्ष का।